


शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की गणना

प्रपोजल संख्या—FP/UP/Pipeline/42798/2019

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक 28-03-2008 के अनुसार काण्डला-गोरखपुर (ग्रुप-ई) एल.पी.जी. पाइप लाइन के निर्माण में जिला-उन्नाव में प्रभावित होने वाले 1.2840 हे0 आरक्षित तथा 0.0069 हे0 संरक्षित कुल 1.2909 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न प्रकार है—

प्रस्तावित स्थल	वन का प्रकार	क्षेत्रफल हे0में	ईको क्लास	घनत्व	दर प्रति हे0	कुल एन0पी0वी0 की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
काण्डला-गोरखपुर (ग्रुप-ई) एल. पी.जी. पाइप लाइन के निर्माण में जिला-उन्नाव में प्रभावित होने वाले 1.2840 हे0 आरक्षित तथा 0.0069 हे0 संरक्षित कुल 1.2909 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	संरक्षित तथा आरक्षित	1.2909	तृतीय	0.01	9,57,780.00	12,36,398.202
योग:-						12,36,398.202
अथवा-						12,36,398.00

(रूपया बारह लाख छत्तीस हजार तीन सौ अट्ठान्बे मात्र)


क्षेत्रीय वन अधिकारी
उन्नाव


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


(ईशा तिवारी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव


उप प्रभागीय वनाधिकारी
द्वैगिरमऊ जनपद-उन्नाव